



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24122025-268790
CG-DL-E-24122025-268790

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 834]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 24, 2025/पौष 3, 1947

No. 834]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 24, 2025/PAUSHA 3, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2025

सं. 37/2025-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 920(अ).— जहां कि वियतनाम (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित “कैलिशयम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच” (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 3824 99 00 के अंतर्गत आती हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/38/2024-डीजीटीआर, दिनांक 27 सितम्बर, 2025, जिसे दिनांक 27 सितम्बर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

(i) विषयगत वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में किया गया था, जिसके कारण यहां इसकी डंपिंग हुई है;

(ii) इसके कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;

(iii) आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की विक्रय कीमत के स्तर से कम है जो घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती कर रही है,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाठन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाठन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिए गए विवरण वाले विषयगत वस्तु, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद्द के अंतर्गत आते हैं, कॉलम (4) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलतः उत्पादित हैं, कॉलम (5) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है, कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है पर, उक्त सारणी के कॉलम (7) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट राशि के बराबर दर पर प्रतिपाठन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ मद	विवरण	मूलतः उत्पादन का देश	निर्यातिक देश	उत्पादक	राशि (अमेरिकी डॉलर/मीट्रिक टन)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	3824 99 00	कैल्शियम कार्बोनेट फिलर मास्टरबैच	वियतनाम	वियतनाम सहित कोईभी देश	यूरोपियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("यूरोप्लास्ट")	31.58
2.	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोईभी देश	येन बाई यूरोपियन प्लास्टिक संयुक्त स्टॉक कंपनी ("येनबाई")	31.58
3.	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोईभी देश	नधे एन यूरोपियन प्लास्टिक वन मेंबर लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ("नधे")	31.58
4.	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोईभी देश	पॉलीफिल जॉइंट स्टॉक कंपनी ("पॉलीफिल") (सामूहिक रूप से "यूरोप्लास्ट	31.58

					"मृप" के रूप में संदर्भित)	
5.	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोईभी देश	एडीसी प्लास्टिक, जेएससी	36.13
6.	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोईभी देश	एन टिएन इंडस्ट्रीज जॉइंट स्टॉक कंपनी	शून्य
7.	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोईभी देश	विटाप्लास संयुक्त स्टॉक कंपनी (विटाप्लास)	39.25
8.	-वही-	-वही-	वियतनाम	वियतनाम सहित कोईभी देश	कोई भी उत्पादक	75.00
9.	-वही-	-वही-	वियतनाम के अलावा कोई भी अन्य देश	वियतनाम	कोई भी उत्पादक	75.00

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फा. सं. सीबीआईसी -190349/67/2025-टीआरयू अनुभाग - सीबीआईसी]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December, 2025

No. 37/2025-Customs (ADD)

G.S.R. 920(E).— Whereas, in the matter of “Calcium Carbonate Filler Masterbatch” (hereinafter referred to as the subject goods), falling under tariff item 3824 99 00 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Vietnam (hereinafter referred to as the subject country) and imported into India, the designated authority in its final findings, *vide* notification F. No.6/38/2024 – DGTR, dated the 27th September 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27th September 2025, has come to the conclusion that—

- (i) the product under consideration has been exported to India from the subject country at a price below normal value, thus resulting in dumping;
- (ii) the domestic industry has suffered material injury due to dumping in respect of the subject goods;
- (iii) the landed price of imports is below the level of selling price of the domestic industry and is undercutting the prices of the domestic industry,

and has recommended imposition of anti-dumping duty on imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country and imported into India, in order to remove injury to the domestic industry.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 20 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the Central Government, after considering the aforesaid final findings of the designated authority, hereby imposes on the subject goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item of the First Schedule to the Customs Tariff Act as specified in the corresponding entry in column (2), originating in the country as specified in the corresponding entry in column (4), exported from the countries as specified in the corresponding entry in column (5), produced by the producers as specified in the corresponding entry in column (6), and imported into India, an anti-dumping duty at the rate equal to the amount as specified in the corresponding entry in column (7), of the said Table, namely :—

TABLE

S. No.	Tariff Item	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount (\$/MT)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	3824 99 00	Calcium carbonate filler masterbatch	Vietnam	Any country including Vietnam	European Plastic Joint Stock Company (“EuroPlast”)	31.58
2	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Yen Bai European Plastic Joint Stock Company (“Yenbai”)	31.58
3	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Nghe An European Plastic One Member Limited Liability Company (“Nghe”)	31.58
4	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Polyfill joint stock company (“Polyfill”) (collectively referred to as “Europlast Group”)	31.58
5	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	ADC Plastic.,JSC	36.13

6	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	An Tien Industries Joint Stock Company	Nil
7	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Vitaplas Joint Stock Company (Vitaplas)	39.25
8	-do-	-do-	Vietnam	Any country including Vietnam	Any	75.00
9	-do-	-do-	Any country other than Vietnam	Vietnam	Any	75.00

2. The anti-dumping duty imposed under this notification shall be levied for a period of five years (unless revoked, superseded or amended earlier) from the date of publication of this notification in the Official Gazette and shall be payable in Indian currency.

Explanation.- For the purposes of this notification, rate of exchange applicable for the purpose of calculation of such anti-dumping duty shall be the rate which is specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), issued from time to time, in exercise of the powers conferred by section 14 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and the relevant date for the determination of the rate of exchange shall be the date of presentation of the bill of entry under section 46 of the said Act.

[F. No. CBIC-190349/67/2025-TRU Section-CBIC]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.